

## भारत में श्रमिक आन्दोलन का उदय और विकास

रंजीत कुमार पासवान  
शोधार्थी, नेट उत्तीर्ण  
स्नातकोत्तर इतिहास विभाग  
ल0ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा  
मो0 नं0- 7991173621

ई-मेल- [ranjeetkpmadhu@gmail.com](mailto:ranjeetkpmadhu@gmail.com)

संसार भर में यदि कोई आन्दोलन सर्वप्रथम आरम्भ हुआ है तो वह श्रमिक आन्दोलन है। बगैर व्यक्ति के श्रम के कोई भी चीज न तो बन सकती है और न किसी वस्तु का उत्पादन ही हो सकता है। इस दृष्टि से मुझे यह कहने में कहीं भी हिचक नहीं है कि श्रमिक आंदोलन सभी प्रकार के आन्दोलनों से पूर्व जन्मा है। इसलिये श्रमिक आंदोलन प्राचीनतम आन्दोलन है।

“भारतीय मजदूर वर्ग अब परिपक्व हो गया है कि वह वर्ग चेतना के साथ राजनीतिक जन-संघर्ष चला सकता है।” उन्होंने यह बात इस आधार पर कही थी कि उस वर्ष लोकमान्य तिलक को छः वर्ष की सजा सुनाये जाने के विरोध में बम्बई के मिल मजदूरों ने राजनीतिक हड़ताल की थी।<sup>1</sup> यह हड़ताल निश्चित रूप से श्रमिकों के मध्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो सुगबुगाहट अन्दर ही अन्दर श्रमिकों में थी, वह आक्रोश रूप में लोकमान्य तिलक के बन्दी बनाने पर और 6 वर्ष का दण्ड सुनाने पर फूट पड़ी। यह हड़ताल राजनीतिक होते हुए भी श्रमिक चेतना की सामूहिकता का घोटक थी।

भारत में औद्योगिक श्रमिकों का अस्तित्व 1850 के लगभग हुआ। यह समय वह था जब प्रथम कपड़ा मिल, पहली चटकल और पहली रेलवे चली। इसके साथ ही 1835 तक चाय श्रमिकों की पहचान बन चुकी थी। इस तरह उद्योगों के चारों तरफ श्रमिकों का एक जाल बिछता जा रहा था। श्रमिक विभिन्न प्रकार के उत्पादन के कार्यों से जुड़ता जा रहा था। औद्योगिक श्रमिकों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती जा रही थी। इसके साथ श्रमिक समस्याओं में वृद्धि हो रही थी, श्रमिकों को दशा दिन प्रतिदिन सोचनीय होती गई। काम के घंटे अत्यधिक थे और पारिश्रमिक कम से कम था। आज तो पहले की अपेक्षा श्रमिकों की दशा कहीं अच्छी है। बम्बई के मजदूरों के संबंध में ब्वायलरों के सीनियर टाम ड्रिवेट लिखते हैं-

“बिनौले से रूई को अलग करने का सीजन लगभग 8 महीने रहता है। इसमें से लगभग 5 महीने मजदूर सबेरे 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक काम करते हैं। बाकी 3 महीने वे दिन रात काम करते हैं।<sup>2</sup> अत्याचार और शोषण की सीमायें जब भी किसी शासन ने पार की हैं, आन्दोलन हुए हैं। एम्प्रस मिल के मजदूरों की हड़ताल श्रमिक आन्दोलन की आहट देते हैं। वैसे औद्योगिक श्रमिकों की हड़ताल का व्यवस्थित रूप में, हमें, प्रथम फैक्टरी एक्ट के पास होने के पश्चात यानी 1881 के बाद दिखायी पड़ता है। फैक्टरियों में काम की दशाओं में कोई सुधार दिखाई नहीं पड़ रहा था। इसलिये 23 और 26 सितम्बर 1884 को एक ज्ञापन 5,500 श्रमिकों के हस्ताक्षर सहित द्वितीय फैक्टरी कमीशन को दिया गया जिसमें कहा गया कि इतवार को उन्हें पूर्ण अवकाश दिया जाय। प्रत्येक दिन उन्हें 30 मिनट का भोजन अवकाश का समय दिया जाय। कार्य की अवधि का आरम्भ प्रातः 6:30 से हो और सूर्यास्त तक रहे। प्रत्येक माह की 15 तारीख तक वेतन दे दिया जाय। यदि श्रमिक काम के समय घायल हो जाता है तो जब तक वह ठीक नहीं हो जाता उसे पूरा वेतन दिया जाय। यदि श्रमिक का कार्य करते समय कोई अंग-भंग हो जाता है तो जीवन्त पर्यन्त पेन्शन दी जाय जिससे उसकी जीविका चलती रहे। यह मांगें स्पष्ट रूप से इस बात का प्रमाण है कि भारत में श्रमिक आन्दोलन का आरम्भ 1884 से नियोजित और सुसंगठित रूप से आरम्भ होता है।

इन ज्ञापनों को हस्ताक्षर सहित इन्होंने उस समय के भारत के गवर्नर जनरल को भी भेजा कि उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाय और उनकी मांगें मानी जाय। अपनी माँग का दबाव बनाने हेतु उन्होंने 10,000 फैक्टरी कर्मचारियों की सभा बम्बई में की। सप्ताह में एक दिन के अवकाश की माँग को मान लिया गया। श्रमिकों की यह प्रथम बहुत बड़ी सफलता थी। इस सफलता के कारण उन्होंने बाम्बे मिल हैन्ड्स एसोसियेशन की स्थापना की। इन्होंने प्रथम फैक्टरी 1881 को संशोधन करने के लिये 1890 को एक ज्ञापन फैक्टरी लेबर कमीशन को दिया।<sup>5</sup> वास्तव में बाम्बे मिल हैन्ड्स एसोसियेशन मजदूरों की एक समिति थी न कि श्रमिक संगठन का कोई संघ। इसके न कोई सदस्य थे। न इसके कोई नियम व्यवस्था थी और न इसे सुचारू रूप से चलाने के लिये धन था। इन सारे अभाव के बावजूद भी इस समिति के सदस्य फैक्टरी व मिल कर्मचारी को सलाह दिया करते थे। इसके पश्चात श्रमिकों को यह महसूस हुआ कि उनका कोई संगठन होना चाहिए जो उनके हितों की रक्षा कर सके।

1900-1901 का यह मानना है कि कदि 1908 के बम्बई के सूती मिलों के श्रमिकों की हड़ताल छोड़ दी जाय जो कि तिलक के बन्दी बनाने पर हुई थी तो "मजदूरों का आन्दोलन 1914-18 के विश्व युद्ध के बाद ही शुरू हुआ। लेकिन इसके पहले भी यदा-कदा भारतीय मजदूरों के संघर्ष होते रहे थे। ये संघर्ष स्वतः स्फूर्त थे, और उसका कोई निश्चित जागरूक और सचेत वर्ग उद्देश्य नहीं था।<sup>6</sup> उस समय की परिस्थितियों का विश्लेषण करते हुए देसाई इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि 1918 के पश्चात श्रमिकों में एक नई वर्ग चेतना का जन्म हुआ। अपने को संगठित करने का जज्बा उत्पन्न हुआ। अपने को शक्तिशाली बनाने के लिये ट्रेड यूनियन के विकास की ओर अग्रसर हुए। ब्रिटिश कमीशन की रिपोर्ट में इस बात का वर्णन प्राप्त होता है— "1918-1919 के जाड़े में संगठित उद्योग में औद्योगिक हड़तालों की संख्या और बढ़ी और 1920-21 जाड़े में संगठित उद्योग में औद्योगिक हड़तालों आम हो गई असल कारण था कि लोगों ने वर्तमान स्थिति में हड़तालों की शक्ति को समझा और इस बात को मजदूर संगठन कार्ताओं के आविर्भाव, जन साधारण को युद्ध से मिली शिक्षा, उद्योगों के विस्तार से श्रमिकों की संख्या में कमी जो इन्फ्लूएन्जा के संक्रामक होने की वजह से और बढ़ी, आदि कारकों से मदद मिली।<sup>7</sup>

मजदूर आन्दोलन का दूसरा महत्वपूर्ण दौर 1946-47 के मध्य देखने को मिलता है। इस समय एक नारा हवा में गूँज रहा था कि "हर जुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है।" मजदूरों की हड़ताल की धमकी को उस समय एक हथियार की तरह प्रयोग किया जा रहा था। क्योंकि साम्राज्यवादी शक्तियों और उत्पादन को कमजोर बनाने के लिये हड़ताल आवश्यक थी। हड़ताल का दबाव सरकार पर इतना अधिक पड़ता था कि उसे मजदूरों की समस्याओं को सूनने के लिये मजबूर होना पड़ता था। 1946 में 23 अगस्त को रेलवे के अधिकारियों ने कुछ नेताओं को नौकरी से निकाल दिया। इस कार्यवाही के जवाब में मजदूरों ने हड़ताल कर दी। शासन के अत्याचार और दमन की नीति के आगे भी मजदूर नहीं झुके। 15 सितम्बर 1946 को मद्रास में मजदूर एक स्थान पर सभा कर रहे थे। सभा को तितर-बितर करने के लिये पुलिस ने गोलियाँ चला दी। इस हादसे में 9 लोग मारे गये और सैकड़ों जख्मी हो गये। सैकड़ों मजदूरों को बन्दी बना लिया गया। इस घटना के विरोध में भारत के कई राज्यों में हड़ताल हुई। अनेक स्थानों पर सभा कर मजदूरों ने अपना आक्रोश प्रकट किया। इसी समय रेलवे कर्मचारियों ने शासन और अधिकारियों से मजदूरों पर अत्याचार रोकने को कहा। लेकिन उन्होंने अनसूनी कर दी, परिणाम स्वरूप 22 सितम्बर तक ट्रेनों को चलने नहीं दिया गया। अगस्त 1946 कानपुर के ब्रिटिश मिलों और चमड़े के कारखानों के 30,000 श्रमिकों ने हड़ताल का मुख्य कारण था मजदूरों को गलत ढंग से नौकरी से निकालना एवं उनके वेतन से अनावश्यक कटौती करना। इस तरह कानपुर के मजदूरों ने 6 जनवरी 1947 को मजदूरों की जबरदस्ती छटनी करने पर जोरदार प्रदर्शन किया।<sup>9</sup> इस तरह यह कहा जा सकता है कि 1946-47 के समय मजदूरों में जबरदस्त एकता थी। वे हर जुल्म का डटकर सामना करते थे। शासन के विरुद्ध प्रदर्शन करते थे और हड़ताल कर सरकार की सारी मशीनरी को घ्वस्त कर देते थे। इन सब कार्यवाहियों से अनेक बार मजदूरों की मांगों को स्वीकार करना पड़ा।

वास्तव में मजदूरों द्वारा हड़ताल, प्रदर्शन, सभायें करके ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियों की आलोचना की जाती थी। किन्तु यह प्रयाप्त नहीं था जब तक कि मजदूरों का कोई संघ स्थापित नहीं हो जाता है। इसकी महती आवश्यकता को श्रमिक वर्ग ने गंभीरता से लिया। मजदूर संघों की स्थापनायें होने लगी। "एकता असीम रूप में मूल्यवान है तथा मजदूर वर्ग के लिए असीम रूप से महत्वपूर्ण है। असंगठित होने पर कुछ नहीं रह जाते हैं। संगठित होने पर वे सब कुछ हो जाते हैं।" ये शब्द लेनिन के हैं।<sup>10</sup> इन पतियों में अनुभव और क्रांति की वह गूँज सुनाई पड़ती है जिसमें संगठन की शक्ति है। इस शक्ति को श्रमिकों ने समझना आरम्भ कर दिया था। 1920 में एन0 एम0एम0 जोशी, लाला लाजपत राय और जोसेफ बेपटिस्टा के प्रयासों से ऑल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। उनका उद्देश्य था "देश के सारे प्रान्तों में मजदूरों के सारे संगठनों के कार्यों को समन्वित करना और आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मामलों पर भारतीय मजदूर के हितों को प्रश्रय देना।"<sup>11</sup> इसकी स्थापना के साथ ट्रेड यूनियन की स्थापनायें सम्पूर्ण भारत में होने लगी। वहीं मजदूरों को संगठन की शक्ति का भी एहसास हुआ कि वे साम्राज्यवादी शक्तियों और पूंजीवादी व्यवस्था से संघ के माध्यम से लड़ सकते हैं। फिर एक महत्वपूर्ण और प्रभावी नारा मजदूर शक्ति के लिये आया कि "दुनिया के मजदूरों एक हो" इससे ट्रेड यूनियन आन्दोलन में वामपक्षी नेतृत्व विकसित हुआ।

फिदेल कास्त्रो क्यूबाई क्रांति के ऐतिहासिक अनुभव और मजदूरों की अजेय शक्ति के लिये कहते हैं—

"अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर वर्ग की अजेय शक्ति के बल पर ही हमारा छोटा सा देश उस भयानक खतरे का सामना कर पाया जो अमरीका की राजनीतिक, आर्थिक तथा सैन्य ताकत से पैदा हुआ था और इस बात का श्रेय मजदूर वर्ग की रणनीति, सिद्धान्तों एवं विचारधारा को तथा हरवल के रूप में उस वर्ग को ही जाता है कि हमारी क्रांति देश की निर्णायक राष्ट्रीय मुक्ति तथा सामाजिक विमुक्ति तक बढ़ पाने में सक्षम हुई—<sup>12</sup>" वास्तव में, श्रमिक संघ श्रम जीवियों के संगठन की रीढ़ है जिस पर मजदूर संघ अथवा ट्रेड यूनियन खड़ा है। इसके माध्यम से श्रमिकों की जहाँ विभिन्न प्रकार की समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास किया जाता है, वहीं श्रमिक और मालिकों के आपसी संबंधों का नियमन करता है। दोनों के मध्य तनाव रहित संबंध रखने का प्रयास करता है।

1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना के पश्चात 1922 में अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ की स्थापना हुई इसी तरह 1922 में बम्बई औद्योगिक अशांति समिति, 1921 में बंगाल औद्योगिक अशांति समिति, 1921 में बंगाल औद्योगिक अशांति समिति की स्थापना हुई। इसी मध्य एक श्रमिक संघ विधेयक भी तैयार किया गया जो सन् 1926 में पारित हो गया और अधिनियम बन गया। यह बहुत बड़ी सफलता थी। इस अधिनियम द्वारा पंजीकृत श्रमिक संघों को वैधानिक तरीके से मान्यता प्रदान की गई। इससे पंजीकृत मजदूर संघों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती गयी। 1938 में वी0वी0 गीरी के प्रयासों द्वारा ट्रेड यूनियन फेडरेशन को भी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस में मिला दिया गया। इसी समय समाजवादी पार्टी अस्तित्व में आई और "हिन्द मजदूर सेवक संघ"। 1947 में श्रमिक संगठन में फूट पड़ने से इसी वर्ष एक नई श्रमिक संगठन की स्थापना हुई जिसका नाम भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन था। इसी तरह संयुक्त ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। सबसे महत्वपूर्ण घटना 1919 में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई। इसकी स्थापना से श्रमिक आन्दोलन को बल प्राप्त हुआ। इस तरह भारत के श्रमिकों में अखिल भारतीय संगठनों की स्थापनायें हुई जिन्होंने श्रमिक आन्दोलन को जहाँ ताजी ऊर्जा और शक्ति प्रदान की, वहीं उनकी समस्याओं के निराकरण के लिये सरकार पर दबाव भी बनाया। यदि सरकार मजदूर संघों की मांगों को स्वीकार नहीं करती थी तो ये संघ हड़ताल और तालाबन्दी की घोषणा करते थे। इस तरह एक मजदूर आन्दोलन खड़ा हो जाता था।

1919 तथा 1923 के पश्चात जितने मजदूर संघ बने वे अपने आरम्भिक दौर में काफी महत्वपूर्ण रहे हैं। उन्होंने मजदूरों की एकता को शक्तिशाली बनाने का यथासम्भव प्रयास किया किन्तु 1924—1935 के मध्य वामपंथियों की गतिविधियाँ श्रमिक क्षेत्र में बढ़ती गयी। पूंजीवादी व्यवस्था और शोषण के विरुद्ध इनके आक्रोश ने श्रमिक संघों को बहुत प्रभावित किया क्योंकि वे इसके शिकार थे। इसलिये इस अवधि में श्रमिक संघों पर वामपंथियों का प्रभाव काफी गहरे रूप में पड़ने लगा। इस

दौरान ए० आई० टी० यू० सी० की गतिविधियों में वृद्धि हुई किन्तु इसका भी दो बार विघटन हुआ। 1929 और 1931 में क्रमशः ट्रेडिशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन और आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। 1935 तक आते-आते नेतृत्व को यह महसूस हुआ कि संघ के विभाजन से शक्ति का बंटवारा होता है। इसीलिये 1935 में रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस को ए० आई० टी० यू० सी० में मिला दिया गया। इसी समय श्रमिकों के राष्ट्रीय नेता वी०वी० गिरी के प्रयासों से 1938 में नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन 1940 में ए०आई०टी०यू०सी० में मिल गया। इसी समय कांग्रेस के विचारधारा में नेताओं ने एक पृथक श्रमिक संघ बनाने की आवश्यकता समझी। इस तरह एक और श्रमिक संघ इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हो गयी। इसकी स्थापना मई, 1947 में की गयी। इसने एक विशाल श्रमिक संगठन का स्वरूप, थोड़े ही समय में ले लिया। श्रमिक संघ बनने का क्रम रूका नहीं। स्वतंत्रता के पश्चात समाजवादी पार्टी का गठन हुआ। इसने अपना श्रमिक संगठन "हिन्द मजदूर सभा" दिसम्बर 1955 में भारतीय मजदूर संघ (बी०एम०एस०) का गठन हुआ। श्रमिक संघों के बनने और टूटने के क्रम निरन्तर चलते रहे। आज स्थिति यह है कि एक मिल, फैक्टरी, कारखानों में एक से अधिक श्रमिक संगठन कार्य कर रहे हैं। यह संगठन श्रमिकों का काम और निजी स्वार्थों में अधिक लीन हो गये। परिणामस्वरूप आज भारत एक औद्योगिक महानगरों के मिल और कारखाने जाने कितने वर्षों से बन्द पड़े हैं और निर्धन श्रमिक दो समय का भोजन अर्जित करने में असमर्थ हो रहा है, श्रमिक नेताओं ने एकजुटता का परिचय नहीं दिया। इतनी हड़ताले की, करोड़ों रूपयों का उत्पादन ठप्प हो गया। मिलें घाटे में जाने लगीं। अन्ततः श्रमिक आन्दोलन हाशिये पर आ गया। इस पर गम्भीरता से श्रमिक संघों को विचार करना होगा। क्योंकि श्रमिक रोटी-रोजी का मोहताज हो गया। उनके नेतृत्व में कौन सी कमी थी कि श्रमिक आन्दोलन जो श्रमिक संघों पर आधारित था वह इतना कमजोर क्यों हो गया? सोचना होगा कि क्या संघ की प्रतिद्वन्दिता के कारण श्रमिक संघ धीरे-धीरे कमजोर हो गये। वैचारिक स्तर के मतभेदों ने इन्हें तोड़ दिया अथवा अनुशासनहीनता, स्वार्थ और भ्रष्टाचार ने श्रमिक संघों को निगल लिया। क्या वर्तमान व्यवस्था इतनी भ्रष्ट है कि श्रमिक संघों और श्रमिक आन्दोलनों को उसने अपने राजनैतिक चालों से चलने नहीं दिया? आपको सोचना होगा कि वह नारा दुनिया के मजदूरों एक हो का स्वप्न कैसे टूट गया। प्रथम मई अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर आन्दोलन का एक ऐतिहासिक दिन है 1 मई 1890 को एंजेल्स ने कहा कि-

"आज जब मैं ये पंक्तियां लिख रहा हूँ यूरोपीय तथा अमरीकी सर्वहारा वर्ग अपनी जुझारू शक्तियों को एक ही सेना में, एक ही झंडे तले, एक ही तात्कालिक ध्येय के हेतु, सामान्य आठ घण्टे के कार्य दिवस की स्थापना के हेतु लामबन्द अपनी जुझारू शक्तियों का पुनरावलोकन कर रहा है और आज का दृश्य समस्त देशों के पूंजीपतियों तथा जमींदारों को यह प्रदर्शित कर देगा कि आज तमाम देशों के मजदूर सचमुच एकबद्ध हो गये।<sup>13</sup> "फिर एक शक्तिशाली नारा उछला विश्व के श्रमिक कैनवास पर" समस्त देशों के सर्वहाराओं तथा उत्पीड़ित जनगण, एक हो।"<sup>14</sup> शक्ति टूटने, बिखरने और वैचारिक मतभेदों से नहीं बनती। एक अच्छे लक्ष्य के लिये एकजुटता, सुसंगठन ही मंत्र है। श्रमिक आन्दोलन के संबंध में आचार्य नरेन्द्र देव के विचार हैं-

"सचेत सुगठित मजदूर ही समाजवादी आन्दोलन की रीढ़ है। पूंजीवाद के शोषण के विरुद्ध मजदूरों का वर्ग संघर्ष ही समाजवादी क्रांति का मूल मंत्र है। मजदूरों की आर्थिक आवश्यकताएं और आकांक्षाएँ ही उनके संगठन और संघर्ष का मूल आधार है। इसलिये कतिपय विचारकों और क्रांतिकारी आर्थिक संघर्ष द्वारा ही समाजवादी क्रांति सम्भव है।<sup>15</sup> आचार्य नरेन्द्र देव को इस बात का काफी दुःख था कि श्रमिक आन्दोलन सशक्त रूप में खड़ा नहीं हो सका। उसके कारणों को बताते हुए कहते हैं-

"श्रमिक वर्ग धीरे-धीरे राजनीतिक चेतना विकसित कर रहा है। पर उन्हें दुःख था कि आवश्यकतावादी नेताओं ने उनकी श्रेणी में फूट पैदा कर दी है और मजदूरों को गुमराह कर रखा है। क्षमता सम्पन्न क्रांतिकारी नेतृत्व की कमी है, संगठन अपूर्ण है, इसलिये मजदूरों की हड़तालें इतनी बार असफल होती हैं।<sup>16</sup> "

1990 में पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हाराव की सरकार ने भूमण्डलीकरण को प्रभावी ढंग से भारत के आर्थिक ढांचे में प्रवेश करा दिया जैसे विश्व के सभी देश कमोबेश इसके प्रभाव को एक

खतरे की घन्टी की तरह देखने लगे हैं। पूंजीवादी देश विकसित और अर्द्ध-विकसित देशों में अपना बाजार नियोजित और लुभावने ढंग से बनाने में जुटे हैं। इसका प्रभाव किसी एक देश के बाजार पर ही नहीं पड़ा है। श्रम शक्ति भी अन्य चीजों की तरह छली जा रही है जिस कार्य को अमेरिका, इंग्लैण्ड में कोई व्यक्ति लाखों रुपये पारिश्रमिक लेकर करता है वही कार्य भारत का प्रबुद्ध श्रमिक हजारों रूपयों में करता है। यह श्रमिक शोषण की एक नयी नीति है कि किसी भी देश में घुसकर वहाँ के श्रमिकों का कैसे शोषण किया जाए। श्रमिकों का आर्थिक लाभ में टूटना और बंटना जहाँ श्रमिक संगठनों को कमजोर बनाते हैं वहीं श्रमिक संघ भी कमजोर होते हैं। श्रमिकों का वैश्वीकरण होना निश्चय ही किसी भी दृष्टि से श्रमिक संगठन और संघ के लिये अपयोगी नहीं है।

एजाज अहमद श्रम के भूमण्डलीकरण पर अपने विचार प्रकट करते हुए कहते हैं—

“श्रम के भूमण्डलीकरण का मतलब है श्रमिक आन्दोलन का वैश्विक होना। मगर इसमें बड़ी बाधाएँ हैं। सबसे बड़ी बाधा तो यही है कि ट्रेड यूनियन आन्दोलन ग्लोबल नहीं, नेशनल होता है क्योंकि हर देश के श्रमिक अपने राष्ट्र राज्य के श्रम कानूनों के अन्तर्गत काम करते हैं और उसी के अन्दर अपना संघर्ष या आन्दोलन चलाते हैं अब जैसे यूरोप के देश यूरोपीय यूनियन के रूप में इक्ठे हो गये इससे होना तो यह चाहिए था कि यूरोप के सारे श्रमिक और उनके संगठन भी एक हो जाते। ऐसा हो जाता, तो यूरोप का श्रमिक आन्दोलन बहुत शक्तिशाली हो जाता, लेकिन उल्टे वह कमजोर हो गया। कारण यह है कि इंग्लैण्ड, फ्रांस, जर्मनी आदी के श्रमिक अब भी अपने-अपने देश के कानूनों के अन्तर्गत काम करते हैं।<sup>17</sup>”

इसलिये श्रम के भूमण्डलीकरण का सीधा प्रभाव, श्रम, श्रमिक आन्दोलन और श्रमिक संघों पर पड़ रहा है। आवश्यकता है इन पूंजीवादी देशों की वैश्वीकरण की नीतियों से सावधान होने की क्योंकि ये अपनी फ़ैक्टरी दूसरे देशों में लगाते हैं वहाँ के श्रमिकों से सस्ता काम कराते हैं यदि श्रमिकों में किसी प्रकार का आक्रोश या आन्दोलन होता है तो वे अपना सामान अन्य देशों से तैयार कराते हैं। इस दशा में श्रमिक टगा जाता है। उसका शोषण किया जाता है। इस दृष्टि से भूमण्डलीकरण का आर्थिक औपनिवेशिक फलसफा एक खूबसूरत शोषण की नीति का छलावा है। इसीलिये विश्व के अधिकांश देश भूमण्डलीकरण का खुले आम विरोध कर रहे हैं। इसलिये भूमण्डलीकरण किसी भी देश को आर्थिक रूप से गुलाम बनाने की सोची- समझी साजिश है।

अन्त में, मैं बाल और महिला श्रमिकों की बात करना चाहता हूँ। इनसे सम्बन्धित अनेक कानून और एक्ट बने किन्तु वे लागू नहीं होते। 8 से लेकर 14 वर्ष की आयु तक के लड़के रेटोरेट, होटल, मे प्रातः से लेकर देर रात तक काम करते हैं। छोटी-छोटी फ़ैक्टरी में भी ये काम करते देखे जा सकते हैं ठीक इसी प्रकार महिला श्रमिकों का भी शोषण हो रहा है। यह वह वर्ग है जो बड़ी-बड़ी इमारतों को खड़ा करता है। 10 से लेकर 12 घन्टे तक ये गारा, ईंट ढोती है और कम से कम इन्हे मजदूरी दी जाती है खुले आम इनका शोषण होता है। कोई महिला संगठन अथवा पुरुषों का संगठन इनके अत्याचारों और शोषण के विरुद्ध आन्दोलन नहीं छेड़ता है। संविधान में और कानून की दृष्टि में पुरुष और महिला श्रमिक सभी बराबर हैं। सभी को नौकरी के समान अवसर देने की बात की गयी है पर व्यवहार में बाल और महिला श्रमिकों का कोई ऐसा प्रभावी संगठन नहीं है जो इनके वेतन, दैनिक पगार, शोषण और उत्पीड़न के विरुद्ध प्रभावी ढंग से आन्दोलन करे और कुछ महिला संगठन आन्दोलन कर भी रही है। वे सामाजिक बुराइयों जैसे दहेज प्रथा, दहेज हत्या, तलाक को लेकर आन्दोलन कर रही हैं। आवश्यकता है बाल और महिला श्रमिकों की शोषण और उत्पीड़न से रक्षा करने की। यह पुरुष और महिला श्रमिक संगठनों के संयुक्त आन्दोलन से ही सम्भव है।



**संदर्भ सूची :-**

1. रजनी पाम दत्त – भारत वर्तमान और भावी, पृ0– 192
2. अयोध्या सिंह – भारत का मजदूर आंदोलन, पृ0– 27
3. बी0 आर0 लूथरा – लेवर मूवमेंट ईन इण्डिया, पृ0– 8
4. ए0 आर0 देसाई – भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, पृ0– 167
5. वहीं
6. अयोध्या सिंह – भारत का मजदूर आंदोलन, पृ0– 136
7. ए0 बी0 बर्धन – ट्रेड यूनियन शिक्षा, पृ0– 72
8. ए0 आर0 देसाई – भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, पृ0– 168
9. ए0 बी0 बर्धन – ट्रेड यूनियन शिक्षा, पृ0– 72
10. अ. ख्रामत्सोव – मई दिवस की परंपराएं, पृ0– 24
11. अ. ख्रामत्सोव – मई दिवस की परंपराएं, पृ0– 51
12. मुकुट बिहारी लाल – आचार्य नरेन्द्र देव युग और नेतृत्व, पृ0– 260
13. मुकुट बिहारी लाल – आचार्य नरेन्द्र देव युग और नेतृत्व, पृ0– 264
14. एजाज अहमद – श्रम का भूमंडलीकरण, पृ0– 29